बिहार विधान-सभा वाद्वृत्त

(भाग 2—कार्यवाही प्रश्नोत्तर)

शुक्रवार, तिथि 30 जुलाई, 1982।

विषय-सूची

विषय				पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—				
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—				
बिहार विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 4 (ii) के परन्तुक के अन्तर्गत सभा मेज पर रखे गये प्रश्नोत्तर।				
अल्पसूचित प्रश्नोत्तर संख्या:—16 (प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति को सुपुर्द), 18,19 (प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति को सुपुर्द) एवं 112।				2—13
तारांकित प्रश्नोत्तर संख्या :—584, 1815, 1916 एवं (1921) प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति को सुपुर्द, 1927, 1933 एवं 3011।				14—28
परिशिष्ट 1 (प्रश्नों के लिखित उत्तर)	...	...		29—110
परिशिष्ट 2 (प्रश्नों के लिखित उत्तर)	...	...		111—370
दैनिक निबंध	...	...	...	371-372

टिप्पणी—किन्हीं माननीय मंत्रियों एवं सदस्यों से उनके भाषण के संशोधन प्राप्त नहीं हुए।

(4) यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार मझौलिया गण्डक सर्किल के अहाते में एक विश्राम गृह बनाने का विचार रखती है, यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ० उमेश्वर प्रसाद वर्मा—(1) उत्तर स्वीकारात्मक है। पश्चिम चम्पारण जिला अन्तर्गत मझौलिया में गण्डक योजना का एक रेस्ट सेड था जो अब जरूरतवस कार्यालय में परिवर्तित हो गया है।

(2) उत्तर नकारात्मक है।

(3) मझौलिया में कोई विश्राम गृह नहीं है।

(4) मझौलिया से बेतिया मात्र दस मील की दूरी पर है। बेतिया में सिंचाई विभाग का निरीक्षण भवन है इसलिए मझौलिया में विश्राम गृह बनाने का कोई औचित्य नहीं है।

श्री सिन्हा का स्थानान्तरण।

3079. श्री गौरी शंकर पाण्डेय, श्री रामाश्रय सिंह, श्री अर्जुन विक्रम साह एवं श्री राम नगीना प्रसाद—क्या मंत्री, सिंचाई विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि श्री सुरेन्द्र सिन्हा, ट्रेजरी गार्ड, मेकानीकल डिवीजन, गण्डक प्रोजेक्ट, बेतिया (पश्चिम चम्पारण) में गत 8 वर्षों से पदस्थापित हैं;

(2) क्या यह बात सही है कि सरकारी नियमानुसार पदस्थापना के 3 वर्षों के बाद स्थानान्तरण करने का प्रावधान है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार श्री सिन्हा को बेतिया से स्थानान्तरण करना चाहती है, यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० उमेश्वर प्रसाद वर्मा—(1) एवं (2) इस बिन्दु पर स्थानीय पदाधिकारी से छानबीन की जा रही है। चूंकि यह मामला चतुर्थवर्गीय कर्मचारी से सम्बन्धित है, अतः कार्मिक विभाग के आदेशानुसार इनका स्थानान्तरण तीन वर्षों के बाद करने का प्रश्न नहीं उठता है।

(3) ऊपर खण्डों के उत्तर के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।